

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 845] No. 845] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ASVINA 21, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1267(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उप धारा (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) और (11), धारा 124 की उप धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) दूसरा संशोधन नियम, 2017 है।
 - (2) ये नियम तारीख 13 अक्तूबर, 2017 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात मुल नियम कहा गया है) में, नियम 6 में—
- (I) उप-नियम (1) में,—
 - (क) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्-"परंतु यह और कि जहां धारा 124 की उपधारा (5) के तहत उपबंधित सात वर्ष की अवधि समाप्त कर ली गई है या 7 सितंबर, 2016 से 31 अक्तूबर, 2017 तक की अवधि के दौरान समाप्त की जा रही है तो ऐसे शेयरों के अंतरण की तारीख 31 अक्तूबर, 2017 मानी जाएगी ।";
 - (ख) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"परंतु यह और कि कंपनियों द्वारा शेयरों का निधि में अंतरण शेयरों का परेषण माना जाएगा और शेयरों के परेषण में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया का कंपनियों द्वारा शेयरों का निधि में अंतरण करते समय पालन किया जाना चाहिए।"

6208 GI/2017 (1)

(II) उप-नियम (3) में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्—

'(घ) वास्तविक रूप से रखे गए शेयरों का अंतरण करने के प्रयोजनों के लिए—

- (i) कम्पनी सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति नया शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए, संबंधित शेयरधारक की ओर से कंपनी को एक आवेदन करेगा;
- (ii) खंड (क) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे प्रत्येक शेयरधारक के लिए एक नया शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और उस पर यह उल्लेख किया जाएगा कि नया प्रमाण पत्र "आईईपीएफ को अंतरण के प्रयोजनार्थ शेयर प्रमाणपत्र सं. के स्थान पर" जारी किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा;
- (iii) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र की विशिष्टियां कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप सं. एसएच-1 में दी जाएगी;
- (iv) नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात्, कंपनी कारपोरेट कार्यवाही द्वारा शेयर प्रमाणपत्रों को डीमेट रूप में बदलने के लिए निक्षेपागार को सुचित करेगी और प्राधिकरण के पक्ष में अंतरित करेगा।";
- (III) उप-नियम (12) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - "(13) उप-नियम (10), (11) और उप-नियम (12) के अधीन यथा उपबंधित कंपनियों द्वारा निधि में जमा किए जाने की कोई अपेक्षित राशि आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में खोले गए विनिर्दिष्ट खाते में प्रेषित की जाएगी।
 - (14) प्राधिकरण अपने ज्ञान में आए नियम के अननुपालन को अपनी रिपोर्ट में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।"
- 3. मूल नियमों में, नियम 7 में—
- (क) उप-नियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात—

"(2क) वह प्रत्येक कंपनी, जिसने निधि मे कोई राशि जमा की है, आईईपीएफ प्राधिकरण के साथ समन्वय के प्रयोजन के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेगी और नोडल अधिकारी से संपर्क का विवरण उसका पदनाम, डाक पता, दूरभाष और मोबाइल तथा कंपनी के प्राधिकृत ई-मेल पता दर्शाते हुए इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आईईपीएफ प्राधिकरण को देगी और कंपनी नोडल अधिकारी का नाम और उसका ई-मेल पता अपनी-वेबसाइट पर दर्शाएगी।";

- (ख) उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
 - "परंतु कि प्ररूप आईईपीएफ-5 फाइल करने की तारीख से नब्बे दिन समाप्ति के बाद प्राधिकरण द्वारा दस्तावेजों की गैर प्राप्ति के मामले में प्राधिकरण के पास अभियाचक को तीस दिन की एक अवधि के भीतर प्रत्युत्तर देने का एक अवसर देते हुए प्ररूप आईईपीएफ-5 को अस्वीकार कर सकेगा।";
- (ग) उप-नियम (7) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"परंतु कि ऐसी सूचना की तारीख से नब्बे दिन समाप्ति के बाद, यदि प्राधिकरण को परिशोधित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं तो, प्राधिकरण के पास अभियाचक को तीस दिन की एक अवधि के भीतर प्रत्युत्तर देने का एक अवसर देते हुए प्ररूप आईईपीएफ-5 को अस्वीकार कर सकेगा ।"

> [फा. सं. 05/17/2017-आईईपीएफ] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

िटप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 854(अ), तारीख 5 सितंबर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ), तारीख 28 फरवरी, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R. 1267(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125, sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force from the 13th October, 2017.
- 2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the principle rules), in rule 6—
- (I) in sub-rule (1),—
 - (a) for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that in cases where the period of seven years provided under sub-section (5) of section 124 has been completed or being completed during the period from 7th September, 2016 to 31st October, 2017, the due date of transfer of such shares shall be deemed to be 31st October, 2017.";

(b) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that transfer of shares by the companies to the Fund shall be deemed to be transmission of shares and the procedure to be followed for transmission of shares shall be followed by the companies while transferring the shares to the fund.".

- (II) in sub-rule(3), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely;—
 - '(d) For the purposes of effecting the transfer shares held in physical form-
 - (i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall make an application, on behalf of the concerned shareholder, to the company, for issue of a new share certificate;
 - (ii) on receipt of the application under clause (a), a new share certificate for each such shareholder shall be issued and it shall be stated on the face of the certificate that "Issued in lieu of share certificate No.... for the purpose of transfer to IEPF" and the same be recorded in the register maintained for the purpose;
 - (iii) particulars of every share certificate shall be in Form No. SH-1 as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014;
 - (iv) after issue of a new share certificate, the company shall inform the depository by way of corporate action to convert the share certificates into DEMAT form and transfer in favour of the Authority.';
- (III) after sub-rule (12), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
 - "(13) Any amount required to be credited by the companies to the Fund as provided under sub-rules (10), (11) and sub-rule (12) shall be remitted into the specified account of the IEPF Authority maintained in the Punjab National Bank.
 - (14) Authority shall furnish its report to the Central Government as and when non-compliance of the rules by companies came to its knowledge.".

- 3. In the principle rules, in rule 7—
 - (a) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(2A) Every company which has deposited the amount to the Fund shall nominate a Nodal Officer for the purpose of coordination with IEPF Authority and communicate the contact details of the Nodal Officer duly indicating his or her designation, postal address, telephone and mobile number and company authorized e-mail ID to the IEPF Authority, within fifteen days from the date of publication of these rules and the company shall display the name of Nodal Officer and his e-mail ID on its website.";
 - (b) after sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided that in case of non receipt of documents by the Authority after the expiry of ninety days from the date of filing of Form IEPF-5, the Authority may reject Form IEPF-5, after giving an opportunity to the claimant to furnish response within a period of thirty days.";
 - (c) after sub-rule (7), the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided that in case of non receipt of rectified documents by the Authority after the expiry of ninety days from the date of such communication, the Authority may reject Form IEPF-5, after giving an opportunity to the claimant to furnish response within a period of thirty days.".

[F. No. 05/17/2017-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 854(E) dated the 5th September, 2016 and amended vide notification number G.S.R 178(E), dated the 28th February, 2017.